5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
10 रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

श्रीमति रामदेवी पत्नि माखनलाल यादव,

निबासी ग्राम देवरदा, तहसील वल्देवगढ़ एवं जिला टीकमगढ़,

............आवेदिका

वनाम

म0प्र0 शासन .... अनावेदक

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदिका द्वारा एक निगरानी क्रमांक 3505 / एक / 2016 इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07 / 10 / 2016 को स्वीकार की गई थी।

2— यह कि उपरोक्त निगरानी में पारित आदेश में टंकण की त्रुटि के कारण खसरा क्रमांक 2045 / 2 / 2 के स्थान पर 245 / 2 / 2 टाईप हो गया है , जिसे सुधार करके 2045 / 2 / 2 करना न्यायहित में है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि, आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर उपरोक्त त्रुटि सुधार करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

ग्वालियर दिनांक 08 / 02 / 2017 आवेदिका / ~~अधिवक्ता~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक M-3048/I/2017 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रामदेवी यादव वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदिका की ओर से अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 भू0 रा0 सहिता के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, इस न्यायालय द्वारा निगरानी कमांक 3505/एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 07/10/2016 में टंकण की त्रुटि के कारण खसरा कमांक 2045/2/2 के स्थान पर खसरा कमांक 245/2/2 टाईप हो गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि का खसरा कमांक 2045/2/2 है। 2– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत धारा 32 भू0 रा0 संहिता का यह आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है, निगरानी प्रकरण कमांक 3505/एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 07/10/2016 में लेख खसरा कमांक 245 के स्थान पर 2045 पड़ा जाबे। यह आदेश निगरानी कमांक 3505/एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 07/10/2016 का अंग होगा। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दा0 द0 हो। सदस्य	